बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 394643 पटना, दिनांक 25/10/18

ग्रा0वि0-5/IAY-PMAY(SP)-102-15/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त
खगड़िया ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषण के संबंध में ।**

प्रसंग :- जिला विकास अभिकरण, खगड़िया का पत्रांक- 309 दिनांक-05.03.2018, पत्रांक- 476 दिनांक-06.04.2018, पत्रांक- 498 दिनांक-11.04.2018, पत्रांक- 634 दिनांक-25.05.2018, पत्रांक- 648 दिनांक-26.05.2018 एवं पत्रांक- 658 दिनांक-28.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को पुर्नगठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, अतएव अब योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देशो के अनुसार ही योजना का कार्यान्वयन कराना है । योजना की मार्गदर्शिका के अध्याय- 11 में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को योजना अंतर्गत आवास का लाभ स्वीकृत करने हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है । इस संबंध में प्रावधानों एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसार विशेष परियोजना प्रस्ताव के अंतर्गत आवास का लाभ प्रदान करने के लिए निम्नांकित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:-

i प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार SECC-2011 में आवास की आवश्यकता वाली सूची तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची (प्रतीक्षा क्रमांक सहित) में है (SECC-2011 से TIN or AHL TIN सहित),

ii लाभार्थी को तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध प्राथमिकता सूची के क्रम में आवास की स्वीकृति संभव नहीं है,

iii लाभार्थी एवं उनके परिवार के सदस्य को पूर्व में PMAY-G/IAY/राज्य आवास योजना/भारत सरकार के किसी अन्य योजना के तहत कभी कोई आवास संबंधित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ।

iv लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है ।

उपर्युक्त बिंदुओं के अनुरूप लाभुक की प्रात्रता रहने पर घटना की तिथि के साथ विशेष परियोजना प्रस्ताव विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विचाराधीन हो सकता है ।

आपके प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव उपर्युक्त के अनुरूप नहीं होने के कारण विचार योग्य नहीं है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि जिलों से प्राप्त त्रुटिपूर्ण विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषण के प्रसंग में विभागीय पत्रांक- 370600 दिनांक- 22.05.2018 की कंडिका -3 (घ) में यह स्पष्ट किया गया था कि - "प्राय: योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदा से संबंधित विशेष परियोजना प्रस्ताव में प्रभावित परिवारों का नाम SECC 2011 की सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में बी0पी0एल0 नं0 अंकित करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेज दिया जाता है । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधान के अनुसार विशेष परियोजना से संबंधित प्रभावित परिवारों का विवरणी SECC TIN या A.H.L TIN सहित होना आवश्यक है । अतएव ऐसे मामलों को ध्यान से रखते हुए विशेष परियोजना से संबंधित प्रभावित परिवारों की उपर्युक्त निर्धारित मापदण्डों के आधार पर जाँच कराकर पात्र परिवारों का नाम शामिल करने की अनुशंसा भी अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारित किया जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रभावित परिवारों को विशेष परियोजना के तहत लाभान्वित कराया जाना सुलभ हो सके ।"

अत: आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए त्रुटिरहित विशेष परियोजना प्रस्ताव ही विभाग को उपलब्ध कराए जाँय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 394643 पटना, दिनांक 25/10/18

प्रतिलिपि:- (अनुलग्नक सहित) सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

विशेष परियोजनाओं के लिए प्रोफार्मा

1. जिस प्रयोजना के लिए परियोजना का प्रस्ताव है, वह प्रयोजन और उसका औचित्य (पी0एम0ए0वाई0जी0 के संदर्भ में) :

2.लक्षित समूह :

3.परियोजना क्षेत्र :

4.जिला-वार ब्यौरा (सारणी I)

क्र.सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या

5. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

i. यह प्रमाण पत्र कि विशेष परियोजनाओं के तहत निर्धारित किये गये लाभार्थी उन परिवारों से है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची (प्रतीक्षा सूची का क्रमांक सहित) में सूचीबद्ध किया गया है । (एस.ई.सी.सी.2011 सूची से टिन या ए.एच.एल.टिन सहित)

ii. यह प्रमाण पत्र कि राज्य केंद्रीय अंश की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर अपना अंश रिलीज करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

iii. यह प्रमाण पत्र कि लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण /आईएवाई /राज्य आवास योजना/ भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले से कभी कोई आवास संबंधी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

iv. यह प्रमाण पत्र कि आवास सॉफ्ट में इस परियोजना की रिपोर्ट विशेष परियोजना श्रेणी के तहत दर्ज की जाएगी ।

v. यह प्रमाण पत्र कि सभी लाभार्थियों के पास जमीन है/उन्हें जमीन राज्य सरकार ने आवंटित कर दी है।

vi. विशेष पैकेज के अंतर्गत जिस जिले के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, उस जिले के जिला दंडाधिकारी/समाहर्त्ता से प्रमाण पत्र। प्राकृतिक आपदा की घटना की तिथि सहित

Vii. यह प्रमाण पत्र कि मौजूदा वित्तीय वर्ष से तीन वित्तीय वर्ष पहले स्वीकृत किए गए किसी भी विशेष पैकेज का कोई ऐसा लेखा शेष नहीं है, जिसका निपटान न हुआ हो।

Viii. यह प्रमाण पत्र कि लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए हैं।

Ix. 5% आईएवाई राशि के अंतर्गत कुल आबंटित निधियों, पहले ही उपयोग कर ली गई राशि का ब्यौरा और शेष उपलब्ध राशि को जांच सूची में भी दर्शाया जाए ।

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

6. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संबंधी जिला वार ब्यौरा (सारणी-I के जिलों के संबंध में)

क्र.सं.	जिला	पिछला वर्ष				मौजूदा वर्ष			
		वित्तीय आवंटन(रूपए लाख में)	लक्ष्य (संख्या)	उपयोग (रूपए लाख में)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय आवंटन (रूपए लाख में)	लक्ष्य (संख्या)	उपयोग (रूपए लाख में)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)

7.प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा विशेष परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा

जिला	स्वीकृति का वर्ष	प्रयोजन,जिसके लिए स्वीकृति ली गई	वित्तीय आवंटन (रूपए लाख में)	लक्ष्य (संख्या)	उपयोग (रूपए लाख में)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)	क्या देय उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

प्राकृतिक आपदा से पीडित परिवारों के पुर्नवास हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव के लिए पात्र परिवारों की सूची

जिला का नाम-

क्र0	प्राकृतिक आपदा से पीडित परिवार का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रखंड का नाम	एस0 ई0 सी0 सी0 2011की सूची से टीन या ए.एच.एल.टिन सहित	PMAY-G की प्रतीक्षा सूची का क्रमांक	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	घटना की तिथि	गृह निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध है ।	पूर्व में इंदिरा आवास योजना/राज्य आवास योजना/भारत सरकार की किसी अन्य योजना से आवास का लाभ प्राप्त नही हुआ है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर